



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 29, गुरुवार, शाके 1947- नवम्बर 20, 2025
Kartika 29, Thursday, Saka 1947- November 20, 2025

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 19, 2025

संख्या एफ15(1)परा/विधि/जिपगठन/2025/764 :-यह कि राज्य के राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक प-9(18)राज-1/2022-(10) दिनांक 05.08.2023 के द्वारा अलवर जिले का पुनर्गठन किया जाकर नवीन जिले खैरथल-तिजारा का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय खैरथल-तिजारा रखा गया है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद, खैरथल-तिजारा का गठन किया जाता है।

नवगठित जिला परिषद, खैरथल-तिजारा का क्षेत्राधिकार, राजस्व विभाग की उपर्युक्त अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र में से नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका (नगरीय क्षेत्र) को छोड़कर, समस्त क्षेत्र रहेगा तथा जिला परिषद अलवर के वर्तमान क्षेत्राधिकार से वह क्षेत्र पृथक रहेगा जो क्षेत्र नवगठित जिला परिषद, खैरथल-तिजारा के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित है।

जिला परिषद अलवर वर्तमान स्वरूप में उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेगी और कार्य करना बन्द कर देगी जब नवीन जिला परिषद खैरथल-तिजारा एवं पुनर्गठित जिला परिषद अलवर का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

डॉ० जोगा राम,

शासन सचिव।

218

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।